कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 2915 /11–सी–FP/UP/Disp/49674/2020, लखनऊ, दिनांकः जून 11 ,2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा जोकाही वन ब्लाक, मुर्धवा दक्षिणी बीट कं0नं0 14अ में अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पेयजल आपूर्ति हेतु पानी टंकी, आर0ओ0 एवं शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9594 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 65 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–2592/11–सी–FP/UP/Disp/49674/2020, दिनांक 08.04.2021 एवं आपका पत्रांक–4678/मी0क्षे0/33, दिनांक 02.06.2021

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इंगित की गयी कमियों का बिन्दुवार पूर्ण निराकरण किये बिना ही आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें परीक्षणोपरान्त पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु संलग्न सूची में व्यास वर्ग पुनः गलत अंकित किया गया है। अतः ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार ही सही व्यास वर्ग (0 से 30 सेमी, 31 से 60 सेमी, 61 से 90 सेमी...... के अनुसार) अंकित कर संशोधित सूची प्रस्ताव में संलग्न करें एवं ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व कर डिलिट कर संशोधित सूची अपलोड करें।
2. प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में संलग्न किया गया प्रमाण पत्र पुनः न तो मूल में है और न ही मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। अतः मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मूल में संलग्न करें एवं ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व कर डिलिट कर संशोधित प्रमाण पत्र अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष 01 हे0 का ही मॉडल प्राक्कलन पुनः संलग्न किया गया है, जोकि अपूर्ण है। अतः 2 हे0 का गणना सहित पूर्ण प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में अपलोड करें।
4. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का पूर्ण SoI Toposheet पुनः अपलोड नहीं किया गया है। अतः इस डिलिट कर फुल साइज का सत्यापित SoI Toposheet ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में अपलोड करें।
5. ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में रोजगार का विवरण पुनः भिन्न–भिन्न अंकित है। अतः एक समान सही विवरण अंकित करें।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की तीन प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में शीघ्र उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(संजय श्रीवास्तव)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2915 /11–सी–FP/UP/Disp/49674/2020, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रेनुकूट–सोनभद्र।

(संजय श्रीवास्तव)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-517